न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/95/2020	2020/00222	10/11/2020	28.06.2022

1. शुभम हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, शाखा डी–305, ग्राउण्ड फ्लोर सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–110017।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री भीम सिंह पुत्र जय राम सिंह, निवासी (अ) लक्ष्मणगढ़ रोड़, पई गेट मालाखेडा, जिला अलवर (राजस्थान) 301406 एवं (ब) खसरा नं0 2590, ग्राम मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राजस्थान) 301406
2. श्री जयराम जाट पुत्र श्री प्रभाती लाल जाट, निवासी (अ) लक्ष्मणगढ़ रोड़, पई गेट मालाखेडा, जिला अलवर (राजस्थान) 301406 एवं (ब) खसरा नं0 2590, ग्राम मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर (राजस्थान) 301406

–अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 31.08.2017 को 5,30,000/–रूपये (Rupees Five Lakh Thirteen Thousand Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 14.05.2018 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 5,70,541/–(Rupees Five Lakh Seventy Thousand Five Hundred Forty One Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति **"श्री भीमसिंह पुत्र री जय राम सिंह की खसरा नं0 2590, ग्राम मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति"** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त **"श्री भीमसिंह पुत्र री जय राम सिंह की खसरा नं0 2590, ग्राम मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति"** को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण नियमानुसार प्रार्थी बैंक को नहीं चुकाया है, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 14.05.2018 को एन.पी.ए घोषित कर प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी (सह ऋणी) एवं जमानती को दिनांक 17.05.2018 को एक्ट की धारा 13(2) का

जिला कलक्टर, अलवर

रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना अवगत कराया है, ***लेकिन नोटिस की रजि0 डाक की तामिल एवं ट्रेंकिंग रिपोर्ट पेश नही की है। जिससे यह जाहिर नही होता है कि अप्रार्थी/ऋणी एव जमानती को उक्त नोटिस की तामील हुई हों। प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।***

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर